आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2013 को पूर्वाह्न 10.30 बजे समाहरणालय सभा कक्ष में दुर्गा पूजा एवं बकरीद पर्व, 2013 के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारण हेतु असैनिक पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों एवं पूजा समिति के आयोजकों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

–: कार्यवाही :–

पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार **दिनांक 23.09.2013 को दशहरा एवं बकरीद पर्व, 2013** के अवसर पर जिला में विधि–व्यवस्था एवं शांति–व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श हेतु प्रखंड विकास पदधिकारियों/अंचल अधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/वरीय पदाधिकारियों एवं पूजा समिति के आयोजकों के साथ समाहरणालय सभा कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई।

दुर्गा पूजा का अनुष्ठान दिनांक 05.10.2013 से प्रारंभ है एवं 14.10.2013 को विजयादशमी मनाया जायेगा तथा साथ–साथ प्रतिमा का विसर्जन किये जायेंगे और **दिनांक 16.10.2013 को बकरीद पर्व मनाये जाने की संभावना है।**

जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पूजा आयोजकों को बताया गया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में दशहरा और बकरीद पर्व मनाया जाय। सर्वोत्तम पंडाल एवं पूजा के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। पूजा में भीड़–भाड़ होना स्वाभाविक है, अतः पूजा बिना व्यवधान के हो तथा रोड के ऊपर पंडाल आदि न बने, इसे ध्यान रखा जाय। साथ ही, भीड़ नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु आयोजकों से अनुरोध किया गया। इस हेतु पूजा आयोजकों को कहा गया कि वे पूजा पंडाल में श्रद्धालु/लोगों को जाने एवं बाहर आने हेतु अलग–अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था रखेंगे ताकि पंडाल में भीड़ न हो, इस हेतु आयोजक वोलेन्टियर्स/स्वयं सेवक को पहचान पत्र के साथ रखेंगे। साथ ही आयोजकों को लाऊडस्पीकर के प्रयोग एवं उपयोग के संबंध में कहा गया। लाऊडस्पीकर काफी तेज आवाज/तीव्रता के साथ नहीं बजाया जाय। साथ ही, रात्रि 10.00 के बाद प्रातः 5.00 बजे तक लाऊडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाय। लाऊडस्पीकर के प्रयोग एवं उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आयोजकों से अनुरोध किया गया।

पूजा समितियों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु बताया गया तथा नए पूजा समितियों को भी इस हेतु निदेशित किया गया कि वे अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें। इस हेतु सभी पूजा समिति के आयोजक स्थानीय थानाध्यक्ष को आवेदन देंगे तथा जाँचोपरांत अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

2) दशहरा/बकरीद पर्व के अवसर पर विधि–व्यवस्था एवं सद्भाव बनाये रखने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क एवं सचेष्ट रहने

हुए क्षेत्र में स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखने हेतु निदेशित किया किया। साथ ही, निम्नांकित आदेश/अनुदेश दिए गए :–

1. चूँकि इस वर्ष साथ–साथ दुर्गा पूजा एवं बकरीद मनाया जायेगा। अतः उक्त महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों/त्योहारों के अवसर पर जिला में विधि--व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इस हेतु समय पूर्व निरोधात्मक कदम उठाया जाय। इसके लिए साम्प्रदायिक विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने हेतु निदेशित किया गया। चिन्हित क्षेत्रों में पूर्व में धटित साम्प्रदायिक घटना/विवादों की जानकारी प्राप्त कर ली जाय।
2. असामाजिक/माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की समयपूर्व पहचान कर लिया जाय, इस हेतु आसूचना का संग्रहण ग्रामीण चौकीदारों के माध्यम से किया जाय।
3. अफवाहों पर विराम लगाने हेतु प्रशासनिक तंत्र सचेत रहेंगे और अफवाहों का खंडन करने हेतु तत्काल यथोचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही, अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 153(ए) एवं 505 के तहत् कार्रवाई की जाय।
4. अनुमंडल दंडाधिकारी सामाजिक सद्भाव के विरूद्ध तथा साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले तत्वों के विरूद्ध दं.प्र.सं. की सुसंगत धाराओं क तहत् कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
5. पूजा के नाम पर चंदा वसूली, वाहनों को जबरन रोकने आदि कार्यों के संबंध मे निदेशित किया गया कि क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं सबंधित थानाध्यक्ष लगातार निगरानी रखेंगे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न घटे।
6. निर्गत अनुज्ञप्ति में जुलूसों का मार्ग निर्धारित किया जाय तथा निर्धारित मार्ग से ही जुलूस निकले, इसे प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे।
7. धार्मिक जूलूसों/पंडालों के लिए दी जाने वाली अनुज्ञप्ति में शर्त्त अंकित कर दिया जाय कि ऐसी कोई झांकी/दृश्य व्यंग सहित जुलूसों/पंडालों में नहीं हो, जिससे किसी समुदाय/जाति/वर्ग की भावना को ठेस पहुँचे या वैमनस्यता उत्पन्न हो।
8. मार्ग के जिन स्थानों पर तनाव आदि की संभावना हो, उक्त स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हेतु निदेशित किया गया।
9. समय पूर्व निरोधात्मक एवं सर्त्तकतामूलक कार्रवाई के साथ--साथ क्षेत्र में सघन निगरानी रखी जाय तथा सघन गश्ती सुनिश्चित किया जाय।
10. आसन्न दुर्गा पूजा एवं बकरीद पर्व के अवसर पर बाहरी तत्वों द्वारा विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम दिये जाने की संभावना के आलोक में भीड़–भाड़ वाले इलाके/स्थल, विशेष कर पूजा स्थलों/रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड आदि स्थलों पर विशेष सत्तर्कता बरती जाय। साथ ही, किसी भी आशंका/अंजान व्यक्ति के क्षेत्र में आते ही विशेष चौकसी एवं सत्तर्कता बरतने हेतु सभी संबंधितों को निदेशित किया गया। इस संबंध में गोपनीय आसूचना संग्रहण करने हेतु निदेशित किया गया।

11. शांति समिति की बैठक अविलम्ब सम्पन्न कर ली जाय तथा शीघ्र ही **शांति समिति की बैठक कर अनुपालन प्रतिवेदन अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को भेजना** सुनिश्चित करेंगे।
12. प्रतिमा विसर्जन के मार्ग एवं प्रतिमा विसर्जन को लेकर जुलूस के आगे–पीछे की बात को लेकर विवाद की आशंका रहती है। अतः प्रतिमा विसर्जन के समय विशेष सत्तर्कता बरती जाय।
13. प्रतिमा स्थल के आस–पास मेला, दुकान आदि के कारण भीड़–भाड़ वाले जगहों पर विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु विशेष चौकसी बरती जाय।
14. नमाज स्थल से संबंधित सभी विवादों का समाधान बकरीद पर्व के पूर्व कर लिया जाय। साथ ही, बिहार प्रिजरवेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनिमल एक्ट के आलोक में कार्रवाई की जाय।
15. पूर्णकालीन पेट्रोलिंग, गश्ती एवं निगरानी की कार्रवाई करेंगे।
16. प्रतिमा पंडालों में वैध विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था।
17. दुर्गा पूजा मंडपों/विसर्जन स्थलों के आस–पास एवं शहर की साफ–सफाई आदि। साथ ही, मुख्य मार्गों एवं मुख्य स्थलों पर यथेष्ट स्ट्रीट लाईट/पेय जल की व्यवस्था।
18. शहर के मुख्य मार्गों एवं चौक–चौराहों एवं व्यस्तम स्थलों पर ट्रॉफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति।
19. अग्निशाम दस्ता की प्रतिनियुक्ति एवं गश्ती।

विमर्शोपरांत यह भी निर्णय लिया गया कि –

(i) विधि–व्यवस्था संधारण हेतु निर्गत होने वाले संयुक्त आदेश में उल्लिखित संवेदनशील स्थलों के अतिरिक्त अन्य संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ii) प्रखंडान्तर्गत अतिरिक्त दंडाधिकारी की आवश्यकता होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर अनुमोदन लेना सुनिश्चित करेंगे।

(iii) सिविल सर्जन, किशनगंज किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु सचेष्ट रहेंगे तथा **आपातकालीन चिकित्सा सेवा** बहाल रखेंगे एवं सभी स्वास्थ्य उप केन्द्र/केन्द्रों को भी इस संबंध में निदेशित करना सुनिश्चित करेगे।

(iv) अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज/संबंधित थानाध्यक्ष पूजा पंडालों हेतु निर्गत अनुज्ञप्ति मे **कोटपा अधिनियम** के प्रावधानों का उल्लेख तथा सिविल सर्जन/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य प्रशाखा एवं जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज पूजा पंडालों में इसके प्रचार–प्रसार हेतु प्रतिषेध आदि के संबंध में आयोजकों से समन्वय स्थापित आवश्यक बैनर आदि लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

(v) पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज मुख्य स्थलों पर CCTV की स्थापना हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/थानाध्यक्ष अपने स्तर से मुख्य संवेदनशील स्थलों पर वीडियोग्राफी/CCTV की व्यवस्था करेंगे।

(vi) जिला मुख्यालय में मुख्य पूजा स्थलों आदि जगहों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के साथ वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) पूजा स्थलों/मंडपों एवं मुख्य मार्ग आदि में छेड़खानी आदि की घटना न हो, इस पर विशेष चौकसी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। साथ ही छेड़खानी की रोकथाम हेतु कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मुख्य स्थलों पर सादे लिवास में महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाय।

(viii) जिला मुख्यालय के प्रतिमा विसर्जन स्थलों पर प्रशिक्षित गोताखोरों की प्रतिनयुक्ति अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, किशनगंज समयपूर्व सुनिश्चित करेंगे।

(ix) स्थापित जिला नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल दंडाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./—
(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 1134/सी., किशनगंज, दिनांक 24.09.2013.

प्रतिलिपि :— जिला प्रबंधक, आई.टी., समाहरणालय, किशनगंज को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई—मेल हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष (महिला/एस.सी./एस.टी. थाना सहित), किशनगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल दंडाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन/उप विकास आयुक्त/ सिविल सर्जन/ जिला नजारत उप समाहर्त्ता/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य प्रशाखा/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला अग्निशाम पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, किशनगंज/पुलिस अधीक्षक, रेल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

24/9/13

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।